अध्याय-2

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981[1]

[उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34), सन् 1972 की धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन]

भाग एक

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं.—(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972) से है;

(ख) नियम 3 में निर्दिष्ट अध्यापकों के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से है;

परन्तु किसी जिले में, जहां अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) नियुक्त हो, वहां महिला अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में ऐसा अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी समझा जायेगा;

(ग) "बेसिक स्कूल" का तात्पर्य ऐसे स्कूल से है जहां कक्षा एक से आठ तक शिक्षा दी जाती है;

(घ) "परिषद्" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् से है;

(ङ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष से है;

(च) "जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी" अपर "जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला)" का तात्पर्य किसी विशिष्ट जिले के लिए राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी से है;

(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ज) "जूनियर बेसिक स्कूल" का तात्पर्य ऐसे बेसिक स्कूल से है जहां कक्षा एक से पांच तक शिक्षा दी जाती है;

(झ) "स्थानीय क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिस पर कोई स्थानीय निकाय अधिकारिता का प्रयोग करता है;

---

1. उ०प्र० सरकारी असाधारण गजट दिनांक 3 जनवरी, 1981 में अधिसूचना संख्या 20/16 (5)-81-162/73-यू०पी०ए०-34/1972-रूल-1172 दिनाक 3 जनवरी, 1981 के अन्तर्गत प्रकाशित।

(ञ) "नर्सरी स्कूल" का तात्पर्य ऐसे स्कूल से है जिसमें साधारणतया छह वर्ष तक की आयु के बच्चों को कक्षा एक से नीचे की कक्षाओं में शिक्षा दी जाती है;

(ट) "ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिस पर जिला परिषद् अधिकारिता का प्रयोग करता है;

(ठ) "चयन समिति" का तात्पर्य नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति से है;

(ड) "सीनियर बेसिक स्कूल" का तात्पर्य ऐसे बेसिक स्कूल से है जहां कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा दी जाती है;

(ढ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा से है;

(ण) "अध्यापक" का तात्पर्य नर्सरी स्कूल, बेसिक स्कूल, जूनियर बेसिक स्कूल या सीनियर बेसिक स्कूल में शिक्षा देने के लिए नियोजित व्यक्ति से है;

(त) "प्रशिक्षण संस्था" का तात्पर्य अध्यापन में मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के लिए "प्रशिक्षण" देने वाली संस्था से है;

(थ) "पूर्व स्नातक प्रशिक्षिण" का तात्पर्य हिन्दुस्तानी अध्यापक प्रमाण-पत्र, बेसिक अध्यापन प्रमाण-पत्र जूनियर अध्यापन प्रमाण-पत्र, अध्यापन प्रमाण-पत्र, अध्यापन प्रमाण-पत्र (बेसिक), और अध्यापन प्रमाण पत्र (नर्सरी) के लिए प्रशिक्षण से है जिसमें प्रवेश पाने के लिए पूर्व स्नातक मात्र है;

(द) "नगर स्थानीय क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिस पर नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, या नोटीफाइड एरिया कमेटी अधिकारिता का प्रयोग करती है।

(2) ऐसे पद और पदावलि के, जिन्हें स्पष्ट रूप से यहां परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये हैं।

3. प्रवर्तन की सीमा-यह नियमावली.—(एक) अधिनियम की धारा 9 के अधीन परिषद् की स्थानान्तरित स्थानीय निकायों के समस्त अध्यापकों पर, और

(दो) परिषद् द्वारा स्थापित बेसिक और नर्सरी स्कूलों के लिए नियोजित समस्त अध्यापकों पर लागू होंगी।

भाग दो

संवर्ग और सदस्य संख्या

4. सेवा की सदस्य संख्या.—(1) इस नियमावली के अधीन प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए सेवा के अलग-अलग संवर्ग होंगे।

(2) किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में अध्यापक वर्ग के संवर्ग की सदस्य संख्या और संवर्ग में पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिषद् द्वारा सरकार के पूर्वानुमोदन के समय-समय पर अवधारित की जाये;

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद को या किसी वर्ग में पदों को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या परिषद् उस स्थिति रख सकती है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकार का हकदार न होगा।

परन्तु यह और कि परिषद् सरकार के पूर्वानुमोदन के समय-समय पर उतनी संख्या में अस्थायी पदों का सृजन कर सकती है जितनी वह उचित समझे।

भाग तीन
भर्ती

5. भर्ती के स्रोत.—नीचे उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती की रीति निम्नलिखित होगी—

(क)	(एक)	नर्सरी स्कूलों की अध्यापिका	सीधी भर्ती द्वारा जैसा नियम 14 और 15 में उपबन्धित है।
	(दो)	जूनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका	
(ख)	(एक)	नर्सरी स्कूलों की प्रधान अध्यापिका	पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपबन्धित है।
	(दो)	जुनियर बेसिक स्कूलों के प्रधान अध्यापक और प्रधान अध्यापिका	पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपबन्धित है।
	(तीन)	सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक	पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपबन्धित है।
	(चार)	सीनियर बेसिक स्कूलों की सहायक अध्यापिका	पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपबन्धित है।
	(पांच)	सीनियर बेसिक स्कूलों की प्रधान अध्यापिका	पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपबन्धित है।
	(छः)	सीनियर बेसिक स्कूलों की प्रधान अध्यापक	पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपबन्धित है।

परन्तु यदि उपर्युक्त (तीन) और (चार) में उल्लिखित पदो पर पदोन्नति के लिए उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो नियुक्ति नियम 15 में दी गयी रीति से सीधी भर्ती द्वारा की जा सकती है।

भाग चार
अर्हतायें

[1][**6. आयु.**—नियम 5 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के परन्तुक में निर्दिष्ट किसी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस वर्ष के, जिस वर्ष रिक्ति अधिसूचित की जाये, अनुवर्ती वर्ष की 01 जुलाई को 18 वर्ष की होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की स्थिति में, उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष या उतने वर्ष अधिक होगी जितनी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उपबन्धित की जाये।

---

1. अधिसूचना संख्या 2976/79-5-2006-127-97, दिनांक 25 नवम्बर, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित जो कि उ०प्र० असाधारण गजट, भाग-4, खण्ड (क), दिनांक, 25 नवम्बर, 2006 में प्रकाशित हुआ।

परन्तु यह और कि उच्चतर आयु सीमा किसी अभ्यर्थी के मामले में जो भूतपूर्व सैनिक है, 3 वर्ष अधिक, या जैसे की समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा उपबंधित की जाये, होगी:

परन्तु यह भी कि जहां बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् किसी अभ्यर्थी को जिले में रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण नियुक्ति न मिल सकी हो वहां उसकी आयु की संगणना के लिए उतनी अवधि को जब तक उसे नियुक्ति न मिली हो, नहीं गिना जायेगा, यदि नियुक्ति के दिनांक को उसने 50 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु यह भी कि उच्चतर आयु सीमा बी०एड०/एल०टी०/बी०पी०एड०/सी०पी०एड० या डी०पी०एड० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के मामले में जिन्होंने वर्ष 1999 में विशेष बी०टी०सी० प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो, लागू नहीं होगी।

परन्तु यह भी कि उर्दू में प्रवीणता रखने वाले और द्विवर्षीय बी०टी०सी० उर्दू के विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेने वाले या विशिष्ट बी०टी०सी० पशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेने वाले किसी अभ्यर्थी के मामले में उच्चतर आयु सीमा का अवधारण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

7. राष्ट्रीयता—इस नियम 5 में उल्लिखित किसी पद पर भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो स्थायी निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती ताँजानिया और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रंजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के पश्चात् सेवा में केवल तभी रहने दिया जायेगा यदि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामलें में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

[1][8. शैक्षिक अर्हताएं—(1) नियम 5 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अनिवार्य अर्हतायें वहीं होंगी जैसी प्रत्येक के सामने दी गयी है—

	पद	शैक्षिक अर्हतायें
(एक)	नर्सरी स्कूल की अध्यापिका	उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से अध्यापन प्रमाण पत्र (नर्सरी) या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण अर्हता।
(दो)	जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी उपाधि के साथ-साथ प्रशिक्षण अर्हता जिसके अन्तर्गत बेसिक अध्यापक प्रमाण पत्र, विशिष्ट बेसिक अध्यापक प्रमाण-पत्र (बी०टी०सी०), द्विवर्षीय बी०टी०सी० उर्दू विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, हिन्दुस्तानी अध्यापक प्रमाण- पत्र, जूनियर अध्यापक प्रमाण- पत्र, अध्यापन प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी है। परन्तु उन अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया है, अनिवार्य अर्हता वही होगी जो उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विहित थी।

(2) विज्ञान, गणित, क्राफ्ट या हिन्दी और उर्दू से भिन्न किसी अन्य भाषा के अध्यापन के लिए नियम 5 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार होगी—

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि जिसमें, यथास्थिति विज्ञान, गणित, क्राफ्ट, या विशिष्ट भाषा एक विषय के रूप में रही हो, और

(दो) प्रशिक्षण अर्हता जिसके अन्तर्गत बेसिक अध्यापक प्रमाण पत्र, हिन्दुस्तानी अध्यापक प्रमाण पत्र, जूनियर अध्यापक प्रमाण पत्र अध्यापन प्रमाण पत्र या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

(3) नियम 5 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का न्यूनतम अनुभव ऐसा होना चाहिये जैसा नीचे प्रत्येक के सामने दिखाया गया है :

---

1. नियम 8 अधिसूचना सं० 2976/79-5-2006-127-97, दिनांक 25 नवम्बर, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित जो उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, भाग-4 खण्ड (क), दिनांक 25 नवम्बर, 2006 में प्रकाशित हुआ। (01 जनवरी, 2005 से प्रभावी)।

(एक)	नर्सरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका	नर्सरी स्कूल की स्थायी अध्यापिका के रूप में न्यूनतम पाँच वर्ष का अध्यापन अनुभव
(दो)	जूनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका और सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका	जूनियर बेसिक स्कूल के रूप में पाँच वर्ष का अध्यापन अनुभव
(तीन)	सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका	यथास्थिति, जूनियर बेसिक स्कूल के स्थायी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका या सीनियर बेसिक स्कूल के स्थायी सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव : परन्तु यदि क्र०सं० (दो) या (तीन) पर उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उपर्युक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो परिषद् द्वारा अनुभव की अवधि में शिथिलता देकर पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है।

(4) उर्दू भाषा के अध्यापन के लिए नियम-5 खण्ड (क) और खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार होगी—

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा एक विषय के रूप में उर्दू के साथ,

टिप्पणी—कोई अभ्यर्थी जो उर्दू में उपर्युक्त अर्हता नहीं रखता है, नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि वह एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो।

(दो) सरकार द्वारा उर्दू अध्यापन के लिए प्रशिक्षण देने के लिए लखनऊ, आगरा, मवाना जिला मेरठ और सकलडीहा जिला चन्दौली में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों में से किसी एक केन्द्र से बेसिक टीचर सर्टीफिकेट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण अर्हता।

(5) उर्दू भाषा में प्रवीणता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिये नियम-5 खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) में निर्दिष्ट पदों पर उर्दू माध्यम से पढ़ाने के लिए अनिवार्य अर्हता निम्नवत् होगी—

(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई उपाधि। उर्दू में प्रवीणता के संबंध मे अर्हता वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाये।

(ii) द्विवर्षीय बी० टी० सी० उर्दू विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण योग्यता।

[1][**9. आरक्षण.**—अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गो, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों, स्वतन्त्रता संग्रांम सेनानियों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश अधिनियम और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार होगा।]

संक्षिप्त टिप्पणी

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 3(1) के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जन-जातियों के लिए 2 प्रतिशत और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है। पदोन्नति के प्रक्रम पर शासनादेश संख्या 13/34/90 (2) का-1/1994 दिनांक 10.10.1994 द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए 21 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। अधिसूचना संख्या 481/का-1-94-1-1-1994 दिनांक 29 मार्च, 1994 द्वारा नियुक्तियों में आरक्षण कोटा निर्धारित करने हेतु रोस्टर प्रणाली जारी की गयी हैं।

10. भूतपूर्व सैनिकों और कतिपय अन्य श्रेणियों के लिए शिथिलीकरण.—भूतपूर्व सैनिकों, सेना के अंगहीन कार्मिकों, युद्ध में मारे गये सेना के कार्मिकों के आश्रितों, सेवाकाल में मृत परिषद् के सेवकों के आश्रितों और खिलाड़ियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा शैक्षिक अर्हताओं या और भर्ती की किसी प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं में शिथिलीकरण, यदि कोई हो, भर्ती के समय प्रवृत्त इस निमित्त सरकार के सामान्य नियमों या आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

[2][**11. चरित्र.**—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि यह सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवायोजन के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधगमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति.—सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया है जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

---

1. अधिसूचना संख्या 2729/15-5-97-127/97, दिनांक 6 अगस्त, 1997 द्वारा प्रतिस्थापित जो कि असाधारण गजट, भाग-4, खण्ड (क), दिनांक, 12 जनवरी, 1998 में प्रकाशित हुआ।
2. नियम 11, 13, 14 अधिसूचना संख्या 1962/15-5-93-73-93 दिनांक 28.6.93 द्वारा बदला गया जो कि सरकारी गजट 1-क दिनांक 21-8-93 को प्रकाशित हुआ।

परन्तु परिषद् किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13. शारीरिक स्वस्थता.—(1) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

(2) किसी अभ्यर्थी की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

[1][**14. रिक्तियों का अवधारण और सूची का तैयार किया जाना.**—(1) नियम 5 के खण्ड (क) के अधीन नर्सरी स्कूलों की अध्यापिका और जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या और नियम 9 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और रिक्तियों को, सेवायोजन कार्यालय को, और कम से कम दो समाचार पत्रों में जिनका राज्य के साथ ही साथ सम्बन्धित जिले में पर्याप्त प्रचलन हो, अधिसूचित कर सम्बन्धित जिले से विहित प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदन पत्रों और सेवायोजन कार्यालय से प्राप्त अभ्यर्थियों के नामों की संवीक्षा करेगा और ऐसे व्यक्तियों की, जो विहित शैक्षिक अर्हतायें रखते हों, और नियुक्ति के लिए पात्र प्रतीत हों, एक सूची तैयार करेगा।

(3) सम्भागीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक किसी अभ्यर्थी के आवदेन-पत्र पर और उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, यह निदेश दे सकता है कि उसका नाम उपनियम) (2) के अधीन तैयार सूची के अन्त में सम्मिलित किया जाये।

(4) उपनियम (2) के अधीन तैयार की गयी सूची में अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार रखे जायेंगे कि उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समय से पहले उत्तीर्ण कर लिया हो, उनके ऊपर रखा जायेगा, जिन्होंने उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बाद में उत्तीर्ण किया हो और किसी विशिष्ट वर्ष में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के नाम परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता अंकों के अनुसार रखे जायेंगे।

(5) कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक उसका नाम उपनियम (2) के अधीन तैयार सूची में सम्मिलित न हो।

(6) उपनियम (2) के अधीन तैयार की गयी और उपनियम (4) के अनुसार क्रमबद्ध की गयी सूची नियुक्त प्राधिकारी द्वारा चयन समिति को अग्रसारित की जायेगी।

15. सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापकों/अध्यापिकाओं के कतिपय पदों के लिए रिक्तियों की अधिसूचना और पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना—(1) नियम 5 (ख) के

---

1. अधिसूचना संख्या 2729/15-5-97-127/97 दिनांक 6 अगस्त, 1997 द्वारा बदला गया।

परन्तुक के अधीन सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक रिक्ति सेवायोजन कार्यालय को और कम से कम एक समाचार-पत्र में भी जिसका उप परिक्षेत्र में पर्याप्त परिचलन हो, अधिसूचित करेगा।

[1][(2) नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदन-पत्रों और उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित रिक्ति के अनुसरण के सेवायोजन कार्यालय से प्राप्त अभ्यर्थियों के नामों की संवीक्षा करेगा और तत्पश्चात् ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगा जो विहित शैक्षिक अर्हतायें रखने वाले और नियुक्ति के पात्र प्रतीत हों, सूची के पात्र व्यक्तियों के नाम उस क्रम में रखे जायेंगे जैसा कि नियम 14 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन विहित किया गया है।

(3) उपनियम (2) के अधीन तैयार की गयी सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति को अग्रसारित की जायेगी।

[2][**16. चयन समिति का गठन**—इस नियमावली के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(क)	प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान -	अध्यक्ष
(ख)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी -	सदस्य/सचिव
(ग)	जिला मुख्यालय पर राजकीय बालिका इण्टरमीडिएट कालेज की प्रधानाचार्या-	सदस्य
(घ)	जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी -	सदस्य
(ङ)	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट, यथास्थिति, हिन्दी, उर्दू या अन्य भाषा में एक विशेषज्ञ-	सदस्य

टिप्पणी—यदि उपर्युक्त रीति से गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य, पिछड़े वर्गों का व्यक्ति सम्मिलित नहीं है तो जिला मजिस्ट्रेट जिला स्तर के अधिकारियों में से ऐसी जाति/जनजाति या वर्ग जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है, के व्यक्तियों को चयन, समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगा।

17. कोई भाषा पढ़ाने के लिए किसी पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया.—(1) चयन समिति यथा स्थिति नियम 14 के उपनियम (6) या नियम 15 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों को एक लिखित परीक्षा, जिसका अधिकतम अंक एक सौ होगा, में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी से, उस भाषा में, जिसके सम्बन्ध में पद भरा जाना है, किसी सामयिक विषय पर निबन्ध लिखने की अपेक्षा की जायेगी। कोई अभ्यर्थी, जो लिखित परीक्षा में पचास अंक से कम अंक प्राप्त करता है, नियुक्ति के लिए निरर्हित होगा।

(3) किसी अभ्यर्थी द्वारा, जो उपनियम (2) के अधीन निरर्हित नहीं है, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको को परिशिष्ट के अनुसार दिये गये उसके गुणवत्ता अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

---

1. अधिसूचना सं० 5866/15/5/81-यू०पी०ए०-34/1972-400/50 79, दि० 17/7/1981 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2. अधिसूचना सं० 2196/15-5-98-127/97, दिनांक 9/7/98 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की, उपनियम (दो) के अधीन लिखित परीक्षा में अर्हित है, एक सूची ऐसी रीति से तैयार करेगी कि वे अभ्यर्थी, जिन्होंने अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पहले उत्तीर्ण कर लिया है, सूची में उन अभ्यर्थियों से, जिन्होंने उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बाद में उत्तीर्ण किया है, ऊपर रखे जायेंगे और उन अभ्यर्थियों को, जिन्होंने किसी विशिष्ट वर्ष में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, लिखित परीक्षा और गुणवत्ता में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग के अनुसार व्यवस्थित किया जायेगा। यदि दो या अधिक ऐसे अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी की सूची में ऊपर रखा जाएगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(5) उपनियम (2) के अधीन तैयार की गई सूची इसके तैयार किये जाने के दिनांक से एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य रहेगी]

[1][17-क. **किसी भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ाने के लिए किसी पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया.**—(1) चयन समिति यथास्थिति, नियम 14 के उपनियम (6) या नियम 15 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए विचार करेगी और उस क्रम में, जिसमें उनके नाम उक्त सूची में हों, चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक बराबर-बराबर हों तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर देगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन तैयार सूची इसके बनाये जाने के दिनांक से एक वर्ष के लिए विधि मान्य रहेगी।

(3) जहां चयनित अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक हो और नियम 19 के उपनियम (1) के अधीन समस्त चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलती है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे चयनित अभ्यर्थियों की सूची, जो रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण नियुक्ति प्राप्त करने में समर्थ न रहे हों, उनके आवेदन पत्रों और अन्य विवरणों के साथ, सम्भागीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को अपने क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे जिले में रिक्तियों को भरने के लिए जहां पर्याप्त संख्या में चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है वहां सूची का उपयोग करने के प्रयोजनों के लिए अग्रसारित करेगा।

(4) उप नियम (3) में निर्दिष्ट सूची प्राप्त होने पर, सम्भागीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) चयनित अभ्यर्थियों की सूची, आवेदन पत्र और अन्य विवरणों के साथ अपने सम्भाग के भीतर उस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जहां रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, अग्रसारित करेगा। सूची, इस प्रकार अग्रसारित करने में, सम्भागीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) चयनित अभ्यर्थियों द्वारा जिलों में अपनी तैनाती के संबंध में दिये गये विकल्पों को ध्यान में रखेगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट सूची प्राप्त होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के समक्ष, अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों और अन्य विवरणों के साथ सूची रखेगा।

---

1. अधिसूचना संख्या 2729/15-5-97-127/97 दिनांक 6 अगस्त, 1997 द्वारा प्रतिस्थापित।

(6) चयन समिति उपनियम (4) में निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों पर विचार करेगी और उपनियम (1) के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी और उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची के अन्त में उनके नामों को सम्मिलित करेगी और सम्पूर्ण सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(7) जहां उपनियम (3) के अधीन सम्भागीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को अग्रसारित सूची का उपयोग उसके सम्भाग में रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका, तो सम्भागीय सहायक/शिक्षा निदेशक (बेसिक) परिषद् के सचिव को सूची अग्रसारित करेगा जो उसके बाद सूची को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जिसके जिले में रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, अग्रसारित करेगा। सूची इस प्रकार अग्रसारित करने में परिषद् का सचिव, जिलों में उसकी तैनाती के संबंध में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये विकल्पों के ध्यान में रखेगा।

(8) उपनियम (7) में निर्दिष्ट सूची के प्राप्त होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के समक्ष, अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र और अन्य विवरणों के साथ, सूची रखेगा।

(9) चयन समिति उपनियम (7) में निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों पर विचार करेगी और उपनियम (1) के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी और उप नियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची के अन्त में उनके नामों को सम्मिलित करेगी और सम्पूर्ण सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

समीक्षा

चयन समिति को अर्ह एवं योग्य अभ्यर्थियों का ही चयन करना चाहिए। जहां अभ्यर्थियों की नियुक्ति सम्बन्धी चयन में बड़े पैमाने पर धांधली की गयी हो वहां प्राकृतिक न्याय के अतिक्रमण के आधार पर पूर्ण चयन रद्द किया गया सम्पूर्ण प्रकरण में जांच कराने एवं धांधली करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एवं कृत कार्यवाही से मा० उच्च न्यायालय को अवगत कराने हेतु मा० उच्च न्यायालय ने आदेश दिए।[1]

चयन कर्त्ताओं के दुर्भावनापूर्ण कार्यप्रणाली के कारण सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया दूषित ठहरायी गयी।[2]

केवल एक पद के लिए ही दो समाचार पत्रों में नियुक्ति हेतु विज्ञान दिया गया परन्तु दो की नियुक्ति की गयी। अभिनिर्णीत हुआ कि दूसरा पद वह है जो चयन की कार्यवाही के बाद रिक्त हुआ अतः जब तक अपरिहार्य परिस्थितियां न हो दूसरे पद के लिए चयन वैध नहीं हो सका। इस प्रकार की नियुक्ति से संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का अतिक्रमण होता है।[3]

भाग पाँच

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

[4][**18. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया.**—(1) नियम 5 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर नियम 18 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

---

1. *बिस्वा रंजन साहू एवं अन्य* बनाम *सुशील कुमार डिन्डा एवं अन्य*, 1997 एस०सी०डी० सुप्रीम कोर्ट।
2. *मदन लाल* बनाम *जम्मू एण्ड कश्मीर राज्य*, ए०आई०आर० 1995 सुप्रीम कोर्ट 1088।
3. *डॉ० भगवान दास लाहोटी* बनाम *आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार* 1988 (2) एस०एल०आर० 564।
4. अधिसूचना सं० 4585/15-5-93-208-94, दिनांक 13-9-94 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) नियुक्त प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में जैसा कि उपनियम (2) में पात्रता सूची से प्रकट हो, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।]

भाग छः
अन्य उपबन्ध

[1][**19. नियुक्ति.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे, यथास्थिति, नियम 17 या 17-क या 18 के अधीन तैयार की गई सूचियों में आये हों, नियम 5 में निर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्ति करेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियाँ कर सकता है।

(3) कोई नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के सिवाय, और सीधी भर्ती के मामले मे तहसीलदार द्वारा जारी आवास प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण के सिवाय नहीं की जायेगी।

20. नियुक्तियाँ आदेश द्वारा की जायेंगी.—इस नियमावली के अधीन की गयी सभी नियुक्तियाँ लिखित आदेश द्वारा की जायेगी।

[2][**21. स्थानान्तरण.**—किसी अध्यापक का स्थानान्तरण ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र से नगर स्थानीय क्षेत्र में या इसके विपरीत या किसी एक नगर स्थानीय क्षेत्र से उसी जिले के किसी अन्य नगर स्थानीय क्षेत्र में या एक जिले के स्थानीय क्षेत्र से किसी अन्य जिले के स्थानीय क्षेत्र को सिवाय अध्यापक के अनुरोध पर या उसकी सहमति से और दोनों ही दशा में परिषद् के बिना अनुमोदन के नहीं किया जायेगा।

22. ज्येष्ठता.—(1) किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूप में उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी :

परन्तु दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किये जायें तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 17 या नियम 18 में निर्दिष्ट सूची में आये हों।

टिप्पणी—सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। किसी विशिष्ट मामले में कारण विधिमान्य है या नहीं इसके सम्बन्ध में विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

---

1. अधिसूचना सं० 4585/15-5-93-208-94, दिनांक 13-9-94 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना संख्या 2729/15-5-97-127/97 दिनांक 6 अगस्त, 1997 द्वारा प्रतिस्थापित हुआ।

(2) किसी अध्यापक की, जिसे नियम 21 के उपबन्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हो ज्येष्ठता मे उसका नाम, स्थानान्तरण का आदेश जारी किये जाने के दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानान्तरण किया गया है, सम्बन्धित तत्स्थानी वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची के सबसे नीचे रख दिया जायेगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

23. परिवीक्षा.—(1) मौलिक रिक्ति में नियुक्त किये जाने पर सभी व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जायेंगे।

(2) नियुक्त प्राधिकारी सेवा के संवर्ग सम्मिलित किसी पर या परिषद् के अधीन किसी अन्य उच्च पद पर स्थानान्तरण या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने की अनुमति दे सकता है;

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढायी जाये। ऐसे बढायी गयी अवधि साधारणतया दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) यथास्थिति, परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यदि यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, कोई यदि हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(5) ऐसा व्यक्ति जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

24. स्थायीकरण.—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यथास्थिति, परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि उसे स्थायीकरण के लिए उपयुक्त समझा जाये और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये।

25. वेतनमान.—इस नियमावली के अधीन किसी पद पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या स्थायी अधिकार पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतन ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

26. परिवीक्षा अवधि में वेतन.—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा-अवधि के दौरान वेतन-वृद्धि इस शर्त पर दी जायेगी कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये।

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

27. दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड.—किसी अध्यापक को—

(क) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसे धारितया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य करता हुआ न पाया जाये और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये : और

(ख) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसकी सेवा का अभिलेख निरन्तर अच्छा न रहा हो और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये।

28. पक्ष समर्थन.—इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश, पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास नियुक्ति के लिए उसे अनर्ह कर देना।

29. अधिवर्षिता की आयु.—प्रत्येक अध्यापक उस मास के, जिसमें उसने अपनी आयु के 60 वर्ष पूरे कर लिये हों, अन्तिम दिन के अपरान्ह से सेवा-निवृत होगा।

परन्तु यदि कोई अध्यापक किसी शिक्षा सत्र (अर्थात् पहली जुलाई से तीन जून तक) के दौरान सेवा-निवृत्ति होता हो तो वह शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् 30 जून तक कार्य करता रहेगा और ऐसी सेवा-अवधि को नियोजन से बढ़ाई गयी अवधि समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 के प्रथम संशोधन का स्पष्टीकरण.—शासनादेश संख्या 6911/15 (5) 81-400(50)/79, दिनांक 17 जुलाई, 1981 में निम्न प्रकार है—

अधिसूचना संख्या 20/15(5)-81-162/73 यू०पी०ए० 34/1972 एम०-1779, दिनांक 3 फरवरी, 1981 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 प्रकाशित की गयी जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन अध्यापकों की नियुक्ति पदोन्नति, स्थायीकरण आदि की सेवा शर्तें निर्धारित की गयी जिसके फलस्वरूप जिला परिषदों और स्थानीय निकायों के इस सम्बन्ध नियम तथा विनियम और शिक्षा निदेशक/बेसिक शिक्षा परिषद् तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश निरस्त हो गये। शासन का पहले भी और अब भी मन्तव्य यही है कि यदि कोई व्यक्ति, जो बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु अर्हता रखता है, चाहे तो अपने मूल निवास के जिले की सूची में आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अपना नाम शामिल करा सकता है।

शासनादेश संख्या 4476/15-5-80-100(50)/79, दिनांक 30-7-1980 निर्गत आदेशों के निरस्तीकरण के कारण जिन बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को उनके मूल निवास के जिले में नियुक्ति की सुविधा दी गयी थी उनकी नियुक्ति प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव होने की बात शासन के ज्ञान में विधायकों द्वारा लायी गयी। इस कठिनाई के निवारण हेतु शासन द्वारा सम्यक् रूप में विचार करने के उपरान्त नियमावली के नियम 14 व 15 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

उक्त नियमावली के संशोधन से सम्बन्धित अधिसूचना दिनांक 17-7-1981 (प्रतिलिपि संलग्न है) के फलस्वरूप नर्सरी स्कूल की अध्यापिका और जूनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में जो सूची नियुक्ति-प्राधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी वह उसी जिले के मूल निवासियों से सम्बन्धित होगी। ऐसी सूची में उन सभी अभ्यर्थियों के नाम अंकित किये जायेंगे जिनके आवेदन-पत्र अथवा नाम नियम 14

के उपनियम (1) के प्राविधान के अनुसार नियुक्ति-प्राधिकारी को प्राप्त होंगे। भले ही उन्होंने बी०टी०सी० अथवा उसके समकक्ष अन्य प्रशिक्षण अन्य किसी जिले से या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से प्राप्त किया हो। नियुक्ति प्राधिकारी को किसी अभ्यर्थी के उसी जिले को मूल निवासी होने के सम्बन्ध में अपने को सन्तुष्ट करना होगा और इसके लिए जिले में उपलब्ध रिकार्ड से वे सन्तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु यदि किसी अभ्यर्थी को उसी जिले का मूल निवासी होने से नियुक्ति-प्राधिकारी को सन्देह हो तो वह ऐसे अभ्यर्थी से अपने मूल निवास के जिले का प्रमाण-पत्र (डीमोसाइल्ड प्रमाण-पत्र) तहसीलदार/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट से प्राप्त करके प्रस्तुत करने को कह सकते हैं और ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् उस अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

(2) संशोधित नियम 14 के उपनियम (3) के प्राविधानों से स्पष्ट होगा कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने मूल निवास स्थान के जिले के अतिरिक्त अन्य जिले में किन्हीं कारणों से नर्सरी स्कूलों की अध्यापिका और जूनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक/अध्यापिका के पद पर नियुक्ति चाहता है तो उसे इस सम्बन्ध में उस मण्डल के उपशिक्षा निदेशक को आवेदन पत्र देना होगा, जिसके क्षेत्र में वह सह प्रशिक्षण संस्था आती है, जहां से उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ऐसे सभी आवेदन-पत्रों पर सम्बन्धित मण्डलीय निदेशक निर्णय लेगा और प्रदेश के किसी भी जिले के नियुक्ति प्राधिकारी को उस अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित करने का निर्देश दे सकते हैं।

[1][परिशिष्ट

[नियम 14 (4) देखिये]

अभ्यर्थी के चयन के लिए गुणवत्ता अंक

	परीक्षा/उपाधि का नाम				गुणवत्ता अंक
1.	हाई स्कूल				अंकों का प्रतिशत / 10
2.	इण्टरमीडिएट				अंकों का प्रतिशत × 2 / 10
3.	स्नातक उपाधि				अंकों का प्रतिशत × 4 / 10
4.	प्रशिक्षण	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीया श्रेणी	
(क)	सिद्धान्त	12	6	3	
(ख)	प्रयोगात्मक	12	6	3	

टिप्पणी—उस वर्ष के, जिसमें अभ्यर्थी ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अपेक्षित परीक्षा या उपाधि के स्तर तक ही गुणवत्ता अंक दिये जायेंगे।

1. अधिसूचना सं० 1962/15-5-93-73-93 दिनांक 28-6-93 द्वारा बढ़ाया गया, सरकारी गजट 1-क दिनांक 21-9-93 को प्रकाशित हुआ।

निर्णय संदर्भ

[1]प्रधान अध्यापक ने स्कूल के अध्यापक को स्कूल के फर्नीचर का चार्ज लेने हेतु आदेश किया। अध्यापक ने इसे अपनी ड्यूटी न बताते हुये फर्नीचर का चार्ज लेने से इन्कार किया। प्रधान अध्यापक ने इसे दुर्व्यवहार मानते हुए उसकी वेतन वृद्धि रोक दी। अभिनिर्णीत हुआ कि अध्यापक दुर्व्यवहार का दोषी नहीं है जब तक कि यह सिद्ध न हो कि फर्नीचर का चार्ज लेना उसकी डियूटी में आता है।

संक्षिप्त टिप्पणी

[2]स्कूल अधिकारियों द्वारा इस आधार पर प्रधान अध्यापक के पद पर नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी की डिग्री निरस्त नहीं की जा सकती है कि उसने एक साथ दो डिग्रियाँ प्राप्त की हैं। अभिनिर्णित हुआ कि विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारी के कार्यक्षेत्र में ही यह प्रकरण आता है। स्कूल के अधिकारियों द्वारा इसे निरस्त करने का अधिकार नहीं है।

[3]बिना अवकाश का प्रार्थना पत्र दिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर सुनवायी का अवसर देने एवं जांच के बाद दो वेतन वृद्धियां रोकी जाना उचित ठहराई गयी।

---

1. *तारा चन्द्र भाटिया* बनाम *सेन्ट्रल तिब्बतम स्कूल*, 1998 (2) एस० एल० आर० 60।
2. *खगेन्द्र नाथ* बनाम *स्टेट आफ वेस्ट बंगाल*, 1998 (2) एस० एल० आर० 429।
3. *अमर सिंह* बनाम *स्टेट आफ हरियाणा*, 1998 (2) एस० एल० आर० डी० बी० 707।